



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022023-243780
CG-DL-E-22022023-243780

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 21, 2023/फाल्गुन 2, 1944

No. 95]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 21, 2023/PHALGUNA 2, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 117(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29) की धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (उप समितियों के पदेन सदस्यों के सिवाय सदस्यों को देय भत्ते) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उप समितियों के पदेन सदस्यों के सिवाय सदस्यों को देय भत्ते.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021(2021 का 29) की धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (घ), उपधारा (3) के खंड (घ) और उपधारा (4) के खंड (घ) के अधीन सदस्य साठ हजार रुपए प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा तक प्रति बैठक छह हजार रुपए की बैठक फीस के हकदार होंगे और भारत सरकार के वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 के 'समुह क' के अधिकारियों के जैसे ही यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते की प्रतिपूर्ति के हकदार भी होंगे।

[फा. सं. क्यू-15014/06/2022-सीपीए]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2023

G.S.R. 117(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 25 of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (Allowance payable to the Member, other than *ex officio* Member of the Sub-Committees) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Allowances payable to the Member, other than *ex officio* Member of the Sub-Committees.—The Member under clause (d) of sub-section (2), clause (d) of sub-section (3) and clause (d) of sub-section (4) of section 11 of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021), shall be entitled to sitting fee of six thousand rupees per sitting, to a maximum ceiling of sixty thousand rupees per annum and shall also be entitled to reimbursement of traveling allowance and daily allowance as per entitlements of a 'Group A' officer of pay level-11 of the Government of India.

[F. No. Q-15014/06/2022-CPA]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.